कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध आर्म्स लाईसेंस बनाने वालो पर एटीएस ने कसा शिकंजा

मोहम्मद जुबेर विशाल आहूजा गणपत सिंह भारत सिंह राहुल ग्रोवर

जयपुर 12 सितम्बर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, श्री उमेश मिश्रा ए.टी.एस., जयपुर, राजस्थान ने बताया कि अवैध आर्म्स लाईसेंस बनाने वाले गिरोह पर एटीएस द्वारा शिंकजा कसा जा रहा है। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किये गये 03 अभियुक्तों मोहम्मद जुबेर निवासी अजमेर ,विशाल आहुजा निवासी अबोहर (पंजाब), गणपत सिंह रावत निवासी अजमेर को न्यायालय में पेश कर 10 दिन का पुलिस रिमाण्ड गहन अनुसंधान हेतु प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त 02 अन्य अभियुक्तों राहुल ग्रोवर निवासी जम्मू एवं भारत सिंह निवासी पाली को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के अन्य लोगों पर देवास (मध्यप्रदेश), उदयपुर, बीकानेर तथा पाली में एटीएस की टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। गिरोह के कब्जे से करीब 700 आर्म्स लाईसेंस एटीएस द्वारा अपने कब्जे में लिये गये है, इन लाईसेंसो में अनेक प्रकार की गम्भीर त्रुटिया पाई गई है। इन लाईसेंसो के सूचीकरण का कार्य एटीएस द्वारा किया जा रहा है, इसके पश्चात् एक–एक लाईसेंस की जॉच एटीएस द्वारा की जायेगी।

श्री उमेश मिश्रा ने यह भी बताया कि शीघ्र ही एटीएस की टीम पूरी तैयारी के साथ जॉच के लिए जम्मू एवं कश्मीर जायेगी। अजमेर के हथियार डीलर वली मोहम्मद का रिकार्ड चैक करने, स्टॉक टैकिंग तथा पृविष्ठियों की जॉच के लिए जिला कलेक्टर अजमेर व पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्र लिखा गया है।

राही/संतरा/659/2017

नोटः–उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

पैरोल से फरार इनामी अपराधी पिस्टल व कारतुस सहित गिरफ्तार

जयपुर 12 सितम्बर। जालोर जिले के पुलिस थाना चितलवाना ने जालोर में फरार अपराधियो के बारे मे चलाये जा रहे धरपकड अभियान के तहत आज सोमवार को कार्यवाही करते हुए पैरोल से फरार इनामी अपराधी पिस्टल व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

पुलिस अधीक्षक जालोर श्री विकास कुमार शर्मा ने बताया कि श्री जस्साराम बोस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर व श्री फाउलाल सी.ओ वृत सांचौर के निर्देशन में आज दिनांक 12.9.2017 को स.उ.नि. हजुरखां मय कानि. भंवरसिह, मीठालाल, आसूराम व थानाधिकारी चितलवाना तेजुसिह उप.नि मय हैडकानि. भैरुसिह, कानि. महेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार, कपिल, मुकेशकुमार, मदनलाल, ड्राईवर दिनेशकुमार द्वारा अपराधी रमेश कुमार पुत्र श्री भभूताराम उर्फ भभूतराम जाति विश्नोई (बाबल) उम्र 39 साल निवासी हालीवाव पुलिस थाना चितलवाना को गिरफ्तार किया जाकर अपराधी के कब्जे से एक लोड की हुई पिस्टल व 09 जिन्दा कारतुस तथा संदिग्ध वाहन टेरेनो एक्स जीजे 18 बीई 5320 को जब्त किया गया। जिस पर थाना चितलवाना मे आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अपराधी आर्ले दर्जे का शराब व मादक पदार्थों का तस्कर है जो वर्ष 2013 मे विशिष्ठ न्यायलय एन.डी. पी.एस एक्ट कोर्ट जोधपुर से सजा होने पर जैल से पेरोल के दौरान फरार चल रहा था।

पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा उक्त अपराधी को गिरफ्तार करने पर 2000/ रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अपराधी के विरुद्ध पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही, रानी जिला पाली, बालोतरा, कल्याणपुर जिला बाडमेर में शराब व मादक पदार्थ तस्करी तथा चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार होने आदि घटनाओ के प्रकरण दर्ज हैं।

मकान में बेची जा रही अवैध शराब के कुल 115 कार्टुन जब्त

श्री विकास शर्मा पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देशन में द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत आज दिनाक 12.09.2017 को डॉ दुर्गसिह राजपुरोहित वृताधिकारी वृत जालोर के सुपुरविजन में श्री गंगाप्रसाद उनि ,श्री दानाराम सउनि ,श्री बिरबलराम हैड कानि,बंजरगलाल कानि0 ,रविकुमार कानि0 ,सुनिल कुमार कानि0 ,सुरेश कानि0 द्वारा आज नया बस स्टेण्ड जालोर पहुंच एक मकान में अवैध रूप से बेची जा रही देशी मदिरा के कुल 115 कार्टुन बरामद किये गये तथा मुलजिम जब्बरू खा पुत्र गफुर खा मुसलमान निवासी कोलर को मौके से गिर0 किया जाकर प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। मुलजिम से अनुसंधान जारी है।

राही/संतरा/660/2017
नोटः—उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

सवा करोड़ रूपये की कीमत के अवैध डोडा जब्त, एक ट्रक व मोटरसाईकिल सहित पांच गिरफ्तार

जयपुर 12 सितम्बर। बाड़मेर पुलिस की स्पेशल टीम व गुडामालानी पुलिस थाने की टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान आज सोमवार को अवैध डोडा पोस्त परिवहन करते हुए एक ट्रक तथा उस ट्रक के आगे एस्कोर्ट कर रही एक मोटरसाईकिल को जब्त कर उक्त ट्रक में भरा 2 हजार 936 किग्रा. अवैध डोडा पोस्त बरामद कर तथा संलिप्त पांच मुलजिमों को गिरफ्तार करने में बडी सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर डॉ. गगनदीप सिंगला ने बताया कि जिला पुलिस के स्पेशल टीम के प्रभारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई व श्री पन्नाराम स.उ.नि. को ए.टी.एस. जयपुर के सूत्रों से जानकारी मिली कि आज मध्यरात्रि के बाद रामजी का गोल, पुलिस थाना गुडामालानी सरहद में एक ट्रक संख्या आर.जे. 19 जीए 2761 जो कि अवैध डोडा भरा हुआ है, द्वारा आपूर्ति की जाएगी तथा उस ट्रक के आगे – आगे एक बिना नम्बरी प्लसर मोटरसाईकिल द्वारा एस्कोर्टिंग की जाएगी। मोटरसाईकिल पर दो आदमी होंगे। इस विश्वसनीय सूचना पर स्पेशल टीम द्वारा रामजी का गोल पर गोपनीय तरीके से निगरानी रखी गई तथा सूचना से श्री जयकिशन, उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी को अवगत कराते हुए समुचित स्थान पर नाकाबन्दी करने हेतु कहा गया।

श्री सिंगला ने बताया कि मध्यरात्रि के बाद उक्त ट्रक गांधव से आकर रामजी का गोल से गुड़ामालानी की ओर मुड़ते ही चौराहे पर खड़ी मोटरसाईकिल सवार द्वारा ईशारा दिया और ट्रक उस मोटरसाईकिल के पीछे हो गया। सरहद बांटा में मेगा हाईवे पर थानाधिकारी गुड़ामालानी मय दल द्वारा नाकाबन्दी की गई तथा विशेष दल द्वारा इस ट्रक व मोटरसाईकिल का पीछा किया गया। नाकाबन्दी स्थल पर उक्त दोनों वाहनों को घेराबन्दी करते हुए रूकवाया तथा दोनों दलों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए दोनों वाहन, पॉच अभियुक्तों को दस्तयाब किया। प्रारम्भिक पूछताछ करने पर बताया कि उक्त ट्रक में डोडा पोस्त भरा हुआ है जो अवैध है और स्थानीय तस्कर को आपूर्ति किया जाना है व उसी के निर्देशानुसार उक्त पोस्त डोडा मध्यप्रदेश से भरवाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस पर माल सहित जब्त वाहन व मुलजिम को लेकर पुलिस थाना गुड़ामालानी लाकर प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। इस जब्त अवैध डोडा पोस्त का वजन करने पर 29 क्विंटल 36 किग्रा पाया गया जिसका वर्तमान मूल्य लगभग 1.25 करोड़ रूपये आंकी गई है।

मुलजिमों का विवरण

एस्कोर्टकर्ता :–

1 चम्पालाल पुत्र चेतनराम जाति सूथार निवासी खेजड़ी, बाण्ड, पु.था. गुडामालानी

2 राणमल पुत्र धूड़ाराम जाति दर्जी निवासी बाण्ड, थाना गुडामालानी

ट्रक में सवार –

3 राजू पुत्र दिलीप जाट निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा

4 गोविन्द पुत्र कैलाशचन्द मीणा निवासी जोधा मण्डल का खेड़ा, प्रतापनगर भीलवाड़ा

5 भेरूलाल पुत्र शंकरजी जाति भाट निवासी गुडकिया, पु.था. रासमी चितौड़गढ

कार्यवाही में निम्नलिखित पुलिस कर्मचारी रहे शामिल

स्पेशल टीम – सर्वश्री मेहाराम कानि., भूप्रेन्द्रसिंह कानि. (साईबर सेल), कानाराम व रामवीर (कमाण्डो), वीरमखॉ कानि. और स्वरूपसिंह ड्राईवर।

पुलिस थाना गुड़ामालानी – सर्वश्री पूनमाराम स.उ.नि., नरपतसिंह हैड कानि., रायचन्दराम कानि., महेन्द्रकुमार कानि., मोहनलाल कानि. व चालक श्रीराम शर्मा

राही / संतरा / 658 / 2017

नोटः—उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

यात्रियों के सूटकेस/बैग से जेवरात व रूपये चोरी करने के 3 अर्न्तराज्यीय बदमाशों को किया गिरफ्तार

जयपुर 12 सितम्बर। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिलकुमार टांक ने बताया कि कई दिनों से बसों में सफर के दौरान यात्रियों के सूटकेश व बैगों में से जेबरात व नगदी चोरी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जिस पर थानाधिकारी थाना सेवर श्री खलील अहमद पु0नि0 व श्री मनीश शर्मा उ0नि0 मय जाप्ता की मदद से आज गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर उच्चैन चौराहा सेवर से तीन संदिग्ध **शाहिद पुत्र गुन्दुखॉ, इमरानखॉ पुत्र अलीमुद्दीन जातियान मुसलमान** व **3. नरेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र कुंवरपाल जाति लोधा राजपूत निवासियान घनेडा का अड्डा मुस्ताक थडी थाना कोतवाली बुलन्दशहर यू0पी0** को दस्तयाब कर पूछताछ की गयी तो उक्त व्यक्तियों द्वारा करीब 70—80 वारदात अलीगढ, दिल्ली, मेरठ, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, आदि स्थानों पर करना स्वीकार किया है।

टांक ने बताया कि प्रार्थी हरश्यामसिंह पुत्र रामकरन जाति गुर्जर निवासी झोरौल थाना नदबई द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमा में हीरादास बस स्टैण्ड पर बैग से जेवरात चोरी करना तथा करीब 10—15 दिन पूर्व 23 हजार रूपये नगद व जेबरात चोरी करना स्वीकार किया है। गैंग के अन्य तीन साथी अभी फरार हैं। आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

राही/संतरा/659/2017

नोटः—उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

बांसवाडा जिले के दो पुलिसकर्मी विशेष पदोन्नति से पुरस्कृत

जयपुर, 12 सितम्बर। ड्यूटी के दौरान ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के फलस्वरूप पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंसा पर 2 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति प्रदान कर सम्मानित किया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महानिदेशक पुलिस श्री अजीत सिंह ने बांसवाडा जिले के दो कान्सटेबल्स श्री कल्याण सिंह 32 व श्री जितेन्द्र पाटीदार 134 को हैड कान्सटेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान कर सम्मानित किया है।

श्री सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर,2016 को थाना सल्लोपाट ईलाके में डकैत कई मकानों में डकैती करते हुए सोने–चांदी के जेवरात व नकदी लेकर फायरिंग करते हुए गुजरात राज्य की सीमा में प्रवेश कर गयें। डकैतो द्वारा की गई फायरिंग में सल्लोपाट थाने पर नियुक्त श्री जितेन्द्र कानि.न. 134 को छर्रे लगें, जिससे कानि. को चोटे आई। श्री कल्याण सिंह कानि. न. 32 द्वारा अदम्य सहास एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए डकैतो के गांवो में पहुंच डकैतो की गैंग का पता लगाया और डकैतो को गिरफ्तार करने में विशेष योगदान भी दिया।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इसके अलावा भी कानि. श्री कल्याण सिंह द्वारा चोरी, लूट, डकैती, हत्या एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में मुल्जिमानो से 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, 2,25000 लाख रूपये नकद, लगभग 02 लाख रूपयो के तांबे के वायर, 10 हजार किराणा का सामान, 07 मोटर साईकिल एवं 06 पिस्टल, 08 राउण्ड (जिन्दा कारतुस) व एक टोपीदार बन्दूक को बरामद कराने में विशेष योगदान रहा हैं।

राही/मनीष/अमन/369/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट ूण्चवसपबमण्तंरेंजींदण्हवअण्पद पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की बैठक बुधवार को

जयपुर, 12 सितम्बर। राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की बैठक बुधवार 12 सितम्बर,2017 को प्रातः 11 बजे डी–4, बादामी भवन,बैंक ऑफ इण्डिया,स्वर्णकार कॉलोनी, आर.पी.ए.रोड़, जयपुर में आयोजित की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत जस्टिस करेंगे और बैठक में समिति के अन्य सदस्य भी भाग लेंगे।

बैठक में समिति में विचाराधीन प्रकरणों एवं नये प्राप्त होने वाले परिवादों पर विचार विमर्श किया जायेगा।

राज्य पुलिस जवाबदेही समिति में प्राप्त शिकायतों पर पीड़ित व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी कर उनकी शिकायतों का नियमानुसार निराकरण किया जाता है।

राही/मनीष/अमन/369/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट ूण्चवसपबमण्तंरेंजींदण्हवअण्पद पर भी उपलब्ध है।